उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1964}

THE UTTAR PRADESH GOSHALA ADHINIYAM, 1964[1]

[U. P. ACT No. X OF 1964]

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1964}

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने निदंक 11 दिसम्बर 1963 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल 1964 ई0 की स्वीकृत प्रधान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 अप्रैल 1964 ई 0 को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंध तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार, गजट मे विज्ञप्ति[2] द्वारा नियत करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है।

परिभाषाएं

2–– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में.......

(1) ''पशु'' का तात्पर्य गाय या उसकी सन्तति से है;

(2) ''निदेशक'' का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य अधिकारी भी है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करे;

(3) ''संघ'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश गौशाला संघ से है तथा उक्त संघ के संगठन के पूर्व सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध (रजिस्टर्ड) यू0पी0 स्टेट फेटरेशन आफ गोशालाज और पिंजरापोल्स से है;

(4) ''गोशाला'' का तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण–पोषण करने के प्रयोजन के लिए अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी हो;

(5) ''गोशाला की सम्पति'' का तात्पर्य ऐसी सम्पत्ति से है, जो गोशाला के उपयोग और लाभ के लिए न्यास में निहित हो या न्यास घृत हो तथा, जिसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन गोशाला को देय कोई धनराशि भी है और उसके अन्तर्गत गोशाला में रखे गये पशु भी हैं;

1.उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 नवंबर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

2.विज्ञप्ति सं0 5008 / 12–ई0–12ई0–12(69 / 55, दिनांक 10 दिसम्बर, 1964 द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बलुन्दशहर, अजीगढ, आगरा, एटा, मैनपुरी, मथुरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायू, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजरांपुर, इटावा तथा फर्रूखाबाद जिलों में प्रचलि किया गया तथा विज्ञप्ति सं0 6100 / 12ई0 –12(6) / 65, दि0 8 नवंम्बर 1965 द्वारा देहरादून, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालोन, हमीरपुर, गांदा, बाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर,

गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ, नैनीताल, अल्मोडा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई खीरी, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी तथा गोंडा जिलों में प्रचलित किया गया।

(6) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(7) 'निबन्धक'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गोशालाओं के निबन्धक से है;

(8) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(9) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(10) राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(11) गोशाला के सम्बन्ध में ''न्यासी'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है, भले ही वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसमें गोशाला या उसकी सम्पत्ति का प्रबंध निहित हो और इसके अनतर्गत ऐसा व्यक्ति भी जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानो वह न्यासी ही हो।

संघ

3–– (1) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक संघ स्थापित किया जायगा, जो उत्तर प्रदेश गोशाला संघ कहलायेगा।

(2) संघ में गोशालाओं के न्यासियों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचन किये गये उतने व्यक्ति होंगे, जितने नियत किये जायें।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति न्यासी न समझा जायगा यदि उसका नाम नयासी के रूप में प्रदेश गोशाला रजिस्टर में उस दिनांक में प्रविष्ट न हो, जो राज्य सरकार इस विषय में गजट में विज्ञपित द्वारा तदर्थ नियत करे।

गोशालाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व

4–– (1) गोशाला का न्यासी, निबन्धक को एक विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी––––

(क) गोशाला का नाम और पता;

(ख) गोशाला की स्थापना का दिनांक और उसे स्थापित करने की रीति;

(ग) गोशाला के न्यासी का नाम और पता और यदि न्यासी व्यक्तियों का कोई समुदाय हो तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम व पते;

(घ) न्यासी का उत्तराधिकारी होने की रीति;

(ङ) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण;

(च) उस वर्ष के जिसमें विवरण–पत्र प्रस्तुत किया जाय ठीक पूर्व तीन वर्षों में गोशाला की सकल वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(छ) उक्त आय का स्रोत;

(ज) खण्ड (च) में अभिदिष्ट अवधि में यदि गोशाल के सम्बन्ध में कोई व्यय किया गया हो तो वह व्यय; और

(झ) ऐसे अन्य विवरण, जो नियत किये जायें।

(2) विवरण–पत्र पर नियत रीति से हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा तथा उसके साथ निम्नलिखित होंगे––––

(क) यदि कोई ऐसा लेख्य हो, जिसके द्वारा गोशाला स्थापित किया गया हो तो उसकी एक प्रति;

(ख) उस लेख्य की एक प्रति, जिसमें गोशाला का प्रबंध और न्यासधारिता में उत्तराधिकार को विनियमित किया गया हो, और यदि ऐसा लेख्य उपलब्ध न हो

तो ऐसा ज्ञापन, जिसमें गोशला के उददेश्य और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने की रीति दी जाय; और

(ग) यदि गोशाला के लेखे की संपरीक्षा हो गयी हो तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम पक्के चिट्ठे की एक प्रति।

(3) उक्त विवरण–पत्र, गोशाला की स्थापना के या संबद्ध क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा, किन्त प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक लिखित कारणों द्वारा विवरण–पत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकता है।

5–– प्रत्येक ऐसी गोशाला का विवरण, जिसके सम्बन्ध में धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार विवरण–पत्र प्रस्तुत किया जाय, इस विषय में रखे गये एक रजिस्टर में, जिसे ''प्रदेश गोशाला रजिस्टर'' कहा जायगा, दर्ज किया जायगा और नियत प्रपत्र में एक निबन्धन प्रमाण–पत्र उक्त प्रत्येक गोशाला के सम्बन्ध में जारी किया जायगा। गोशालाओं का निबन्धन

6–– (1) निबन्धक नियत प्रपत्र मे प्रदेश गोशाला रजिस्टर रखेगा। प्रदेश गोशाला रजिस्टर

(2) प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से दिये जायेंगे, जो नियत किये जायें।

7–– (1) धारा 5 के अधीन निबद्ध गोशाला से सम्बद्ध किसी विवरण में जब कोई परिवर्तन हो जाय, तो गोशाला का न्यासी ऐसे परिवर्तन के तीन मास के भीतर, उसकी सूचना निबन्धक को देगा। प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रविष्टियों का संशोधन

(2) उस सूचना पर, नियत रीति से, हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायेगा।

(3) निबन्धक उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने अथवा उन तथ्यों पर जिनकी ओर उसका ध्यान अन्य प्रकार से आकृष्ट हो और ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, प्रदेश गोशाला रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में संशोधन कर सकता है।

8–– (1) निबन्धक, किसी भी समय, या तो स्वयं, या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पषुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर गोशाला के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने के लिए नियत रीति से जांच कर सकता है–– निबन्धक द्वारा जांच

(क) न्यासी का नाम और पता, और यदि न्यासी अनेक व्यक्तियों का समुदाय हो तो उक्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता;

(ख) न्यासधारिता में उत्तराधिकार की रीति;

(ग) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण; और

(घ) आय और व्यय तथा ऐसी आय का स्रोत।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक जांच में निबन्धक, जांच का एक नोटिस पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा एक नोटिस प्रदेश गोशाल रजिसटर में गोशाला के न्यासी के रूप में दर्ज व्यक्ति पर तामील करायगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देगा। नोटिस ऐसे अन्य व्यक्तियों पर भी तामील किया जागयगा और ऐसी रीति से प्रकाशित भी किया जायगा, जो नियत किये जायें।

(3) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए निबन्धक को वही अधिकार प्राप्त होंगें जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते है; अर्थात् –

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने या लेखे की जांच करनेके लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना, जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों।

(4) जांच की समाप्ति पर निबन्धक जांच से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे और इस प्रकार दी गयी आज्ञा जब तक सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा समाप्त न कर दी जाय, अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी।

शुल्क, जो प्रत्येक गोशाला के न्यासी द्वारा दिया जायगा

9—— (1) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, धारा 5 के अधीन निबद्व प्रत्येक गोशाला का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निबन्धक को, पिछले वित्तीय वर्ष में गोशाला की सकल आय को 5 प्रतिशत से अनधिक ऐसा शुल्क देगा, जो निबन्धक संघ के परामर्श से और राज्य सरकार की स्वीकृति से निश्चित करे।

(2) उक्त शुल्क ऐसी रीति से और ऐसे दिनांक या दिनांकों को देय होगा, जो निबन्धक समय–समय पर निश्चित करे।

(3) शुल्क के रूप में होने वाली सभी प्राप्तियां एक निधि में जमा की जायेंगी, जो प्रदेश गोशाला निधि कहलायेगी।

रखना और उनकी संपरीक्षा

10—— (1) धारा 5 के अधीन निबद्व गोशाला का न्यासी, गोशाला की सभी लेखे परिसम्पत्तियों और दायित्वों तथा प्राप्तियों और व्यय का नियमित रूप से लेखा–जोखा रखेगा।

(2) उक्त लेखा ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे विवरण दिये रहेंगे, जो नियत किये जायें।

(3) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर लेखे की रोकड़ बाकी निकाली जायगी और प्रतिवर्ष उसकी वार्षिक जांच तथा संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा एसी रीति से की जायेगी जो नियत की जाय।

(4) उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक लेखा परीक्षक, गोशाला से सम्बद्व सभी ऐसे लेखों, पुस्तिकाओं, बीजकों और लेख्यों को देख सकेगा, जो गोशाला के न्यासी के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन हों।

(5) उस दिनांक से, जब लेखों की रोकड़ बाकी निकाली जाय तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो निबन्धक लेखबद्व कारणों द्वारा प्रदान करे, प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को लेखे का एक विवरणपत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे, जो नियत किये जायें।

गोशाला का क्षेत्र और व्यवसायियों तथा व्यापारियों के दायित्व

11—— (1) संघ, निदेशक से उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा, जिसमें कोई गोशाला या गोशालायें कार्य करेगी, और निदेशक या तो उस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा और तदनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा अथवा उस मामले को राज्य सरकार को अभिदिष्ट करेगा और उसके निर्णय के अनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा।

(2) कोई व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से अपने काराबार–स्थल के क्षेत्र की गोशाला या गोशालाओं, यदि एक से अधिक हों, से भिन्न किसी अन्य गोशाला के लाभार्थ कोई परिव्यय या दान प्राप्त अथवा वसूल नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से ———

(क) गोशाला या गोशालाओं के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूली की गयी धनराशि का पूरा, और

(ख) 'धर्मादा' या 'पूण्यखाता' जैसे अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का आधा;

ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, उस क्षेत्र में कार्य करने वाली गोशालाओं के न्यासधारियों को भुगतान करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के पूर्व अपने द्वारा इस उपधारा के अधीन देय धनराशि में से वह बीस से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से, जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा।

स्पष्टीकरण– जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक गोशालायें कार्य कर रही हों तो निदेशक उनमें वितरित को जाने वाली प्राप्तियों तथा वसूलियों के अनुपातों को निश्चित करेगा।

व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जायेंगी

12–– धारा 11 की उपधारा (3) में उल्लिखित प्राप्तियां तथा वसूलियां करने वाला प्रत्येक व्यापारी या व्यावसायी कम से कम छः मास के ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किय जायें, जिला पशुधन अधिकारी या राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जो नियत किया जाय, नियत प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह अपने द्वारा की गई प्राप्तियों तथा वसूलियों का लेखा देगा।

निरीक्षण के लिए लेखा पुस्तिकाओं का मंगाया जाना

13–– (1) न्यासी के प्रार्थना–पत्र पर या अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर निबन्धक यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसायी या व्यापारी ने गोशाला के न्यासी को देय धनराशि का भुगतान कर दिया है अथवा नहीं किसी भी व्यवसायी या व्यापारी की लेखा पुस्तिकाओं को मंगा सकता है किन्तु ऐसी लेखा पुस्तिकाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति न दी जायगी।

(2) निबन्धक, किसी विशेष मामले में उपधारा (1) के अधीन अपना अधिकार उस अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है, जिससे व्यापारी या व्यवसायी ने धारा 12 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की हो।

गोशाला का निरीक्षण

14–– पशुपालन विभाग का कोई अधिकारी, जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ यथाविधि अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी गोशाला या गोशाला से सम्बद्ध किसी स्थान में अपना यह समाधान करने के लिए प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का यथाविधि पालन किया जा रहा है या नहीं।

अनिबद्ध गोशाला के लिए चन्दा एकत्र करने पर रोक

15–– कोई व्यक्ति किसी ऐसी गोशाला के लिए न तो कोई धनराशि एकत्र करेगा और न कोई चन्दा स्वीकार करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन निबद्ध न हो।

शास्तियां

16–– (1) यदि किसी गोशाला का न्यासी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना तदर्थ नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता या ऐसी विवरणों, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में वह जानता है या जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सारवान विवरण की दृष्टि से वह मिथ्या है तो वह दोष सिद्ध होने पर एक हजार रूपए से अनधिक अर्थ–दण्ड का भागी होगा।

(2) यदि काई व्यवसायी या व्यापारी धारा 11 और तदर्थ बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं करता या धारा 12 के अधीन नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता तो वह दोषी सिद्ध होने पर पांच सौ रूपए से अनधिक अर्थ–दण्ड का भागी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या दिए गए आदेश के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह दोषी सिद्ध होने पर तीन सौ रूपए से अनधिक अर्थ–दण्ड का भागी होगा।

(4) न्यायालय, उपर्युक्त किन्हीं उप धाराओं के अधीन दंडाज्ञा देते समय उस अवधि को निर्दिष्ट करेगा, जिसके भीतर इस प्रकार सिद्ध–दोष ठहराया गया व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाए गए नियम, विनियम या दिए गए आदेश के संगत उपबन्ध का पालन करेगा और ऐसा अतिरिक्त अर्थ–दण्ड भी आरोपित करेगा जो निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें चूक जारी रहे, पचीस रूपए से अधिक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति न्यायालय का यह समाधान कर दे कि ऐसे उचित कारण विद्यमान थे कि वह उस उक्त अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो न्यायालय आदेश के अनुपालन के निमित्त उक्त अवधि को बढ़ा सकता है और

अतिरिक्त अर्थ–दण्ड में पूरी–पूरी या आंशिक छूट भी दे सकता है।

कम्पनियों द्वारा किए गये अपराध

17–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने क निमित्त कम्पनी का प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्व कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह किसी दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–––

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

अपराध संज्ञान

18–– (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किस अपराध के लिए कोई अभियोजन तब तक संसिथत न किया जायगा जब तक कि निबन्धक परिवाद न करे।

(2) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार करेगा।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

19–– इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गए किसी नियम, विनियम या दिए गए किसी आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किए गए अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किस कार्य के सम्बन्ध में किस व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

{उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964} {धारा 20}

नियम

20–– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) संघ का संघटन और पुनः संघटन;

(ख) धारा 4 के अधीन विवरण–पत्र में दिए जाने वाले विवरण ऐसे विवरण–पत्र पर हस्ताक्षर तथा उसे सत्यापित करने की रीति;

(ग) गोशाला को जारी किए जाने वाले निबन्धन प्रमाण–पत्र का प्रपत्र;

(घ) प्रदेश गोशाला रजिस्टर का प्रपत्र;

(ङ) शर्तें, जिन पर और रीति जिसके अनुसार प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किए जायेंगे;

(च) अधिकारी, जिन्हें और अन्तराल जिन पर प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किए जायेगे;

(छ) धारा 7 के अधीन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने की रीति;

(ज) धारा 8 के अधीन जांच करने की रीति;

(झ) व्यक्ति, जिन पर ऐसी जांच का नोटिस तामील किया जायगा और ऐसे नोटिस को प्रकाशित करने की रीति;

(ञ) गोशाला के न्यासी द्वारा रखे जाने वाले लेखों का प्रपत्र और उनमें दिये

जाने वाले विवरण;

(ट) प्रदेश गाेशाला निधि के लेखों की व्यवस्था करना और उन्हें रखना;

(ठ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले लेख का विवरण –पत्र का प्रपत्र और उसमें दिए जाने वाले विवरण;

(ड) अन्तराल जिन पर और रीति, जिसके अनुसार व्यापारी या व्यवसायी गोशालाओं के न्यासियों की धनराशि देगा;

(ढ) वसूली व्यय के रूप में वरूवसायी या व्यापारी द्वारा काटी जाने वाली प्रतिशत;

(ण) अन्तराल, जिन पर और प्रपत्र जिसमें तथा अधिकारी जिसे धारा 12 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जाय;

(त) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों और आदेशों को तामील करने की रीति; और

(द) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाय।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल 14 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगें जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्व नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

21–– निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हो :– विनियम

(1) गोशाला में अभिजनन के लिए कुशल प्राविधिक प्रबन्ध की व्यवस्था और उसका पर्यवेक्षण;

(2) गोशाला में अभिजनन को उसके अन्य कार्यकलापों से पृथक करना और ऐसे कार्य का नागर क्षेत्रों से ग्रम क्षेत्रों में संक्रामित करना;

(3) सांडों का अभिजनन के प्रयोजनों के लिए गोशाला से किस अन्य स्थान को भेजना;

(4) गोशाला में अभिजनन से सम्बद्ध अभिलेखों का रखना और उनका प्रबन्ध करना;

(5) अभिजनन के प्रयोजनों के लिए नर और मादा दोनों पशुओं को अलग रखना; और

(6) गोशाला में पशु की चिकित्सा और निरीक्षण।

22–– इस अधिनियम के अधीन निबद्ध गोशाला पर चैरिटेबिल ऐंड रेलीजस ट्रस्ट 14 ऐक्ट, 1920 के उपबन्ध लागू न होंगे। 1920 का ऐक्ट संख्या गोशाला पर लागू न होगा

THE UTTAR PRADESH GOSHALA ADHINIYAM, 1964[1]

[U. P. ACT No. X OF 1964]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 11, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 10, 1964]

[Received the assent of the President on April 7, 1964, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh, Gazette Extraordinary. dated April 15, 1964.]

AN

ACT

to provide for better administration and control of Goshalas in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows :--

Short title, extent and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification2 in the Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh.

Definitions

2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(1) "cattle" means a Cow, or its progeny ;

(2) "Director" means the Director of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, and includes any other officer appointed by the State Government to perform all or any of the functions of Director under this Act ;

(3) "Federation" means the Uttar Pradesh Goshala Sangh constituted under section 3, and until the Sangh is so constituted, the U. P. State Federation of Gaushalas and Pinjrapoles registered under the Societies Registration Act, 1860 ;

(4) "Goshala" means a charitable institution established for the purpose of keeping, breeding, rearing or maintenance of cattle or for the purpose of reception, production and treatment of infirm, aged, decrepit or diseased cattle;

(5) "Goshala property" means the property vesting in or held in trust for the use and benefit of the Goshala and includes any money payable to the Goshala under section 11, and also includes the cattle kept in the Goshala;

2.Enforced in districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Bulandshahr, Aligarh, Agra, Etah, Mainpuri, Mathura, Bijnor, Moradabad, Budaun, Rampur, Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Etawah and Farrukhabad vide notification no. 5008/XII-E-12(6)-55, dated September 10, 1964 and enforced in districts of Dehra Dun, Kanpur, Fatehpur, Allahabad, Jhansi, Jalaun, Hamirpur, Banda, Varanasi, Mirzapur, Jaunpur, Ghazipur, Ballia, Gorakhpur, Deoria, Basti, Azamgarh, Naini Tal, Almora, Garhwal, Tehri-Garhwal, Pithoragarh, Chamoli, Uttar Kashi, Lucknow, Unnao, Rae Bareli, Sitapur, Hardoi, Kheri, Faizabad, Bahraich, Sultanpur, Pratapgarh, Bara Banki and Gonda vide notification no. 6100/XII.E-12(6)-55, dated November 8, 1965.

(6) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(7) "Registrar" means the Registrar of Goshalas appointed by the state Government ;

(8) “regulations” means the regulations made under this Act;

(9) "rules" means rules made under this Act ;

(10) " State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and

(11) “trustee" in relation to a Goshala means a person or body of persons by whatever designation known, in whom the administration of the Goshala or its property vests and includes any person who is liable as if he were a trustee.

Federation be

3- (1) As soon as may be after the commencement of this Act there shall established in the State of Uttar Pradesh a federation to be called the Uttar Pradesh Goshala Sangh.

(2) The Federation shall consist of such number of persons elected by the trustees of Goshalas in such manner as may be prescribed.

(3) For the purposes of this section no person shall be deemed to be a trustee whose name is not entered as such in the Pradesh Goshala Register on a date appointed in this behalf by the State Government by notification in the Gazette.

Obligation to furnish particulars relating to Goshalas

4- (1) The trustee of a Goshala shall furnish to the Registrar a statement setting out :

(a) the name and location of the Goshala

(b) the date and the manner of establishment of the Goshala;

(c) the name and address of the trustee of the Goshala and where the trustee is a body of persons the names and addresses of all such persons ;

(d) the mode of succession to the trusteeship ;

(e) particulars of Goshala property ;

(f) the gross annual income, if any, of the Goshala during the three years immediately preceding the year in which the statement is furnished ;

(g) the source of such income ;

(h) the expenditure, if any, incurred in connection with the Goshala during the period referred to in clause (f); and

(i) such other particulars as may be prescribed.

(2) The statement shall be signed and verified in the prescribed manner and shall be accompanied by :

(a) a copy of the document, if any, by which the Goshala was established ;

(b) a copy of the document regulating the administration of the Goshala and succession to the trusteeship, and in case of non-availability of such document, a memorandum giving the objects of the Goshala and the manner of administration of its property ; and

(c) in case the accounts of the Goshala have been audited, a copy of the last balance-sheet certified by the auditor.

(3) The statement shall be furnished within three months of the establishment of the Goshala or of the coming into force of this Act in that area whichever is later, provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, extend the period for, furnishing the statement.

Registration of Goshala in registration

5- The particulars of every Goshala in respect of which a statement is furnished in accordance with the provisions of section 4, shall be entered a register, in this Act called the Pradesh Goshala Register, and a certificate in the prescribed form shall be issued in respect of every' such Goshala.

The Pradesh Goshala Register

6- (1) The Pradesh Goshala Register shall be maintained by the Registrar in the prescribed form.

(2) Copies or extracts of the Pradesh Goshala Register shall be furnished on such terms and in such manner as may be prescribed.

Amendment of entries in in Pradesh Goshala

7- (1) Whenever a change occurs in any of the particulars relating to a Goshala registered under section 5, the trustee of the Goshala shall, with three months of the occurrence of such change, report the same to the Registrar.

Register

(2) The report shall be signed and verified in the prescribed manner.

(3) The Registrar may on a report under sub-section (1) or on the facts coming to his notice otherwise, and after such enquiry, if any, as he may consider necessary, amend an entry in the Pradesh Goshala Register.

Enquiry by Registrar 8- (1) The Registrar may, at any time, either of his own motion or on application of a person claiming to have interest in the Goshala or of an officer of the Animal Husbandry Department of the State Government not below the rank of District Livestock Officer, hold an enquiry in the prescribed manner to ascertain in respect of the Goshala-:

(a) the name and address of the trustee; and where the trustee is a body of persons the name and address of every such person ;

(b) the mode of succession to trusteeship ;

(c) the particulars of the Goshala property; and

(d) the income and expenditure and the source of such income.

(2) In every enquiry under this section the Registrar shall cause a notice of the enquiry to be served on the Director of Animal Husbandry, Uttar Pradesh and also in the person entered in the Pradesh Goshala Register as trustee of the Goshala and allow them an opportunity of being heard. The notice may be served on such other persons and may also be published in such manner as may be prescribed.

(3) For the purposes of an inquiry under this section the Registrar shall have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters: -

(a) enforcing attendance of any person and examining a person on oath or affirmation ;

(b) compelling the production of any document;

(c) issuing commission for the examination of any witness or accounts ; and

(d) passing such interim orders as may be necessary in the ends of justice.

(4) On the conclusion of the enquiry the Registrar may pass such order as he may deem proper as to any matter to which the enquiry related, and subject to determination by a court of complent jurisdiction, the order so passed shall be fial and binding.

Fees to be paid by trustee of every Goshala 9- (1) For the purpose of defraying the expenses in the administration of this Act the trustee of every Goshala registered under section 5 shall in each financial year pay to the Registrar such fee not exceeding 5 percent of the gross income of the Goshala during the preceding financial year, as the Registrar may in consultation with the Federation and with the previous tanction of the State Government fix.

(2) Such fee shall be payable in such manner and on such date or dates as may, from time to time, be fixed by the Registrar.

(3) All receipts on account of fees shall be credited to a fund to be called the Pradesh Goshala Nidhi.

Maintenance of accounts and their audit

10- (1) The trustee of a Goshala registered under section 5 shall keep regular accounts of all the assets and liabilities and the receipts and expenditure of the Goshala.

(2) The account shall be in such form and shall contain such particulars as may be prescribed.

(3) The account shall be balanced each year at the close of the 31st day of March and shall be examined and audited annually by such person and in such manner as may be prescribed.

(4) Every auditor shell for the purposes of audit under sub-section (3) have access to all the accounts, books, vouchers and documents relating to the Goshala, which are in the possession of or under the control of its trustee.

(5) Within three months of the date on which the accounts are balanced or within such futher time as the Registrar may, for reasons to be recorded, grant, the trustee of every Goshala shall furnish to the Registrar a statement of the account in such form and containing such particulars as may be prescribed.

Area of Goshala regard and obligations of shall traders and merchants

11- (1) The Federation shall make recommendations to the Director with to the area in which a Goshala or Goshalas shall function, and the Director either accept there commendation and fix the area accordingly or refer the matter to the State Government and fix the area in accordance with its decision.

(2) No merchant or trader shall realize or collect from his customers any charges or donations purporting to be for the benefit of a Goshala other than the Goshala, or if there are more than one, all the Goshalas, functioning in the area in which his place of business lies.

[The Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964] [Section 12-16]

(3) Every merchant or trader realizing or collecting from this customers any charges or donations purporting to be for the benefit of-

(a) Goshala or Goshalas, shall pay the whole;

(b) an unspecified charitable purpose, such as in the name of 'Dharmada' or "Punya Khata", shall pay one-half of the realizations and collections, at such intervals and in such manner as may be prescribed, to the trustees of the Goshalas functioning in that area :

Provided that he may before payment deduct as collection expenses such percentage, not exceeding twenty, as may be prescribed, of the amount payable by him under this sub-section.

Explanation--Where more than one Goshala functions in an area the Director shall fix the proportions in which the realisations and collections shall be divided between them.

Return to be sub-furnished by traders and merchants

12- Each trader or merchant making collections or realization referred to in section (3) of section 11 shall, at such intervals of not less than six months as may be prescribed, furnish to the District Livestock Officer or such other gazetted officer of the State Government as may be prescribed a return in the prescribed form giving an account of such collections or realizations made by him.

Calling for account books inspection

13- (1) The Registrar may, on the application of a trustee or on information received otherwise, call for the account books of any merchant or trader to for ascertain whether the merchant or trader has paid the moneys payable by him to the trustee of a Goshala, but no inspection of such account books by any other person shall be allowed

(2) The Registrar may in any particular case delegate his power under sub-section (1) to the officer to whom the trader or merchant has furnished a return under section 12.

Inspection of by Goshala

14- An officer of the Animal Husbandry Department, not below the rank of District Livestock Officer, or any other person duly empowered in this behalf the State Government may enter into and inspect any Goshala or any place appertaining to a Goshala for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Act and the rules and regulations are duly complied with.

Ban on raising subscription for unregister ed Goshala

15- No person shall collect any money or accept any subscription for a Goshala which is not registered under this Act.

Penalties

16- (1) If a trustee of a Goshala fails to furnish a return, report or information required by or under this Act within the time allowed therefor or furnishes a return, a report or information which he knows or has reason to believe to be false in any material particular, he shall on conviction be liable to a fine not exceeding one thousand rupees.

(2) If a merchant or trader fails to pay the moneys in accordance with the provisions of section 11 and the rules in this behalf or fails to furnish within the prescribed time the return under section 12 he shall on conviction be liable to a fine not exceeding five hundred rupees.

(3) If a person contravenes any other provision of this Act or of a rule, regulation or order made thereunder, he shall on conviction, be liable to a fine not exceeding three hundred rupees.

(4) A court shall, while passing a sentence under any of the foregoing sub-sections, specify the period within which the person so convicted shall comply with the relevant provision of this Act or the rule, regulation or order made thereunder and shall also impose an additional fine not exceeding twenty-five rupees for every day during which the default continues after the period so specified :

Provided that if such person satisfies the court that there was good reasons for his failure to comply with the order of the court within the period so specified, the court may extend the period for the compliance and may also remit the whole or any part of the additional fine.

Offences by companies

17- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to , the company for the conduct of Its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed

without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation---For the purposes of this section- --

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Cognizance of offence 18- (1) No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted except on a complaint of the Registrar.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of first class shall try any such offence.

Protection of action taken in of good faith 19- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done -in pursuance the provisions of this Act or any rule, regulation or order made thereunder.

[The Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964] [Section 20]

Rules 20- (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the constitution and re-constitution of the federation;

(b) the particulars to be set out in a statement under section 4 and the manner of signing and verifying such statement ;

(c) the form of registration certificate to be issued to a Goshala ;

(d) the form of Pradesh Goshala Register;

(e) the terms on which and the manner in which copies or extracts of the Pradesh Goshala Register shall be furnished ;

(f) the officers to whom and the intervals at which copies or extracts of the Pradesh Goshala Register shall be submitted ;

(g) the manner of signing and verifying a report under section 7 ;

(h) the manner of enquiry under section 8 ;

(i) persons on whom the notice of such enquiry shall be served and the manner of publication of such notice;

(j) the form of and the particulars to be contained in the accounts to be maintained by the trustee of a Goshala :

(k) the administration and maintenance of accounts of the Pradesh Goshala Nidhi;

(l) the form of and the particulars to be contained in a statement of account to be furnished under sub-section (5) of section 10 ;

(m) the intervals at which and the manner in which a merchant or trader shall pay moneys to the trustees of Goshalas ;

(n) the percentage that may be deducted by a merchant or trader as collection expenses ;

(o) the intervals at which and the form in which and the officer to whom a

return may be furnished under section 12;

(P) the procedure to be followed by any officer or authority performing functions under this Act;

(q) the manner of service of notices and orders under this Act ; and

(r) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) The power to make rules under this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(4) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed by the State Government, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so however that any such modifications or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Regulations

21- The Director may, with the previous sanction of the State Government, make regulations not inconsistent with this Act or the rules for the following matters :-

(1) provision of skilled technical management of breeding at a Goshala and supervision thereof;

(2) segregation of breeding at a Goshala from other activities thereof and transfer if such work from urban to rural areas;

(3) transport of bulls from a Goshala to any other place for purposes of breeding ;

(4) maintenance and management of records relating to breeding at a Goshala;

(5) setting apart of cattle both male and female for breeding purposes; and

(6) medical treatment and inspection of cattle at a Goshala.

Act no. XIV of 1920 not to apply to a Ghoshala

22- The provisions of the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 shall not apply to a Goshala registered under this Act.